भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1860

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2025

संपार्श्विक मुक्त ऋण

1860. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है और ऐसे उद्यमों की संख्या कितनी है जिन्हें उद्यम पोर्टल पर औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और टियर-II तथा टियर-III शहरों में स्थित उद्यमों की औपचारिक ऋण की सुलभता की कमी के मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषर तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कितने एमएसएमई को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त हुए हैं;

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़े कॉरपोरेटों और सरकारी विभागों द्वारा भुगतान में होने वाले विलंब, जो उनकी तरलता और उत्तरजीविता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कोविड-19 अवधि के दौरान और उसके बाद सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सहायता करने में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग के माध्यम से ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए उनके द्वारा डिजिटल और प्रौद्योगिकीय अंगीकरण किए जाने में सुधार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 01.07.2020 को एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु संशोधित मानदंड के साथ किया गया था। दिनांक 28.07.2025 की स्थिति के अनुसार, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म सहित उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर अखिल भारत में पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 6.59 करोड़ (दिनांक 01.07.2020 से 15.07.2025 तक) थी।

(ख) से (ग): सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएसएमई) स्कीम के प्रभाव में सुधार हेतु, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रति वर्ष 2% की अधिकतम दर को प्रति वर्ष 0.37% तक घटाते हुए वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ़) में 50% तक की कमी की शुरूआत की है, जो कि दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी है। हाल ही में, सरकार ने गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाते हुए 10 करोड़ रुपए कर दिया है और इसके अतिरिक्त, 1 करोड़ रुपए से अधिक की गारंटी हेतु एजीएफ़ को युक्तिसंगत बनाया गया है, जोकि दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी है।

i. आरबीआई के अनुसार चिन्हित ऋण की कमी वाले जिलों (आईसीडीडी) में एमएसई के ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए, सीजीटीएमएसई वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की छूट देता है और 5% का अतिरिक्त गारंटी कवरेज भी प्रदान करता है।

ii. सीजीटीएमएसई ने दिनांक 14.02.2024 को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 'अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए विशेष प्रावधान' की शुरुआत की है। यह गारंटी, बिना किसी प्राथमिक प्रतिभूति के, 85% कवरेज के साथ 20 लाख रुपए तक की ऋण सुविधाओं को कवर करती है, जिसमें 10 लाख रुपए तक के लिए 0.37% तथा 20 लाख रुपए तक के लिए 0.45% गारंटी फीस कवर है।

इसके अतिरिक्त, देश में एमएसएमई के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए, एमएसएमई/संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग विभागों और एमएसएमई के अन्य हितधारकों के सहयोग से एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भौतिक कार्यशालाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से सभी हितधारकों की सहभागिता बढ़ाने हेतु व्यापक प्रचार के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

विगत तीन वर्षों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के तहत प्रदान की गई गारंटियों का ब्यौरा अनुबंध-I पर है।

विगत तीन वर्षों में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत ऋण खातों की संख्या का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध II पर है।

(घ) : भारत सरकार ने देश भर में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसई के लंबित बकायों की निगरानी के लिए दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल की शुरुआत की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 161 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफ़सी) की स्थापना की गई है। दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना शा.आ. 4845(अ) के तहत कॉर्पोरेट्स और सीपीएसई के लिए व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली में शामिल होने की मौद्रिक सीमा को घटाकर 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक कर दिया गया है। एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में, विलंबित भुगतान के मामलों का संपूर्ण डिजिटली समाधान प्रदान करने के लिए दिनांक 27.06.2025 को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल शुरू किया है।

(ङ) : पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों की उनकी लिक्यूडिटी स्थिति को सुगम बनाने में उनके समर्थन के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में मई, 2020 में आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की शुरुआत की थी। स्कीम, स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, उपयुक्त राशि के संबंध में 100% गारंटी के साथ मौजूदा पात्र ऋणकर्ताओं को कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करती है। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक वैध थी।

ईसीएलजीएस की प्रभावकारिता पर अनेक प्रभाव आकलन संचालित किए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ईसीएलजीएस पर दिनांक 23.01.2023 की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खातों, जिनमें से लगभग 93.8% खाते सूक्ष्म एवं लघु उद्यम श्रेणी में है, को ईसीएलजीएस के कारण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में जाने से बचाया गया।

(च) : केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण में, माननीय वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए नए क्रेडिट आकलन मॉडल की शुरुआत की है। यह मॉडल बैंक के साथ मौजूद (ईटीबी) तथा बैंक के लिए नए (एनटीबी) दोनों प्रकार के एमएसएमई ऋणदाताओं के लिए सभी ऋण आवेदनों तथा मॉडल-आधारित सीमा आकलन के लिए निष्पक्ष निर्णय का प्रयोग करते हुए एमएसएमई ऋण मूल्यांकन के लिए डिजिटली एवं सत्यापित आंकड़ा तथा स्वचालित यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। मॉडल द्वारा प्रयुक्त डिजिटल फुटप्रिंट में नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोसिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) का पैन (PAN) प्रमाणीकरण, ओटीपी का प्रयोग करते हुए मोबाइल एवं ईमेल सत्यापन, सेवा प्रदाताओं के माध्यम से जीएसटी डाटा का एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्राप्त करना, खाता एग्रीगेटर का प्रयोग करते हुए बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण, आईटीआर अपलोड एवं सत्यापन, एपीआई समर्थित वाणिज्यिक एवं उपभोक्ता ब्यूरो खोज और अन्यों के साथ क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) का उपयोग करने में यथोचित कर्मठता, एपीआई के माध्यम से धोखाधड़ी की जांच आदि शामिल हो सकते हैं। यह मॉडल सभी बैंकों के साथ भिन्न ऋण राशि सीमाओं के साथ चालू है।

सरकार ने देश भर में एमएसएमई के मध्य अधिक उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए डिजिटल उन्नयन के संवर्धन और नई तकनीकों को अपनाने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के प्लेटफॉर्म जैसे डिजी लॉकर और इंडिया एआई डाटासेट प्लेटफॉर्म जो डिजिटल प्रोद्यौगिकियों का प्रयोग करते हुए एमएसएमई को लचीला, स्पर्धी और सतत बनाता है और किफायती पहुँच तथा पूर्ण कनेक्टिविटी के लिए भारतनेट और पीएम-वाणी जैसे नेटवर्क शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय उद्यम के तहत डिजिटल पंजीकरण, प्रोद्यौगिकी अपनाने के लिए टूल रूम/तकनीकी केन्द्रों में प्रशिक्षण, एमएसएमई नवोन्मेष स्कीम के माध्यम से नए विचारों और तकनीकों का इंक्यूबेशन और हरित प्रोद्यौगिकियों में निवेश बढ़ाने के लिए एमएसई ग्रीन इनवेस्टमेंट फॉर फाइनेंसिंग ट्रांसफ़ोरमेशन स्कीम के माध्यम से एमएसएमई को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने में समर्थन प्रदान करता है। सरकार द्वारा वित्तपोषित उपर्युक्त स्कीमों के डिजाइन में वित्तीय प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण और जागरूकता के घटक उपयुक्त रूप से अंतर्निहित है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1860 के भाग (ख) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्रेडिट गारंटी स्कीम- अनुमोदित गारंटियों की संख्या				
क्रमांक	**राज्य/संघ क्षेत्र राज्य**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	495	600	655
2.	**आंध्र प्रदेश**	**237,520**	**79,938**	**110,323**
3.	अरुणाचल प्रदेश	935	981	1,707
4.	असम	21,195	34,556	75,747
5.	बिहार	42,360	113,262	221,458
6.	चंडीगढ़	1,706	2,459	17,401
7.	छत्तीसगढ़	17,733	25,845	40,583
8.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव	505	1,039	1,025
9.	दिल्ली	21,458	35,127	55,120
10.	गोवा	2,826	4,947	6,510
11.	गुजरात	43,336	106,073	110,039
12.	हरियाणा	30,343	48,455	75,244
13.	हिमाचल प्रदेश	14,898	20,600	23,750
14.	जम्मू एवं कश्मीर	51,431	53,295	47,201
15.	झारखंड	21,090	34,800	64,614
16.	**कर्नाटक**	**53,766**	**135,959**	**188,144**
17.	**केरल**	**25,761**	**45,515**	**68,755**
18.	लद्दाख	467	637	709
19.	लक्षद्वीप	25	7	23
20.	मध्य प्रदेश	50,289	75,023	131,490
21.	महाराष्ट्र	66,055	129,892	238,128
22.	मणिपुर	2,268	1,580	1,952
23.	मेघालय	1,410	1,693	2,776
24.	मिजोरम	1,032	1,232	1,472
25.	नागालैंड	1,813	1,563	1,804
26.	ओडिशा	34,081	56,392	94,128
27.	पुडुचेरी	1,087	2,418	4,471
28.	पंजाब	49,720	81,259	88,991
29.	राजस्थान	72,391	85,848	120,424
30.	सिक्किम	765	1,108	1,748
31.	**तमिलनाडु**	**61,883**	**113,815**	**179,817**
32.	**तेलंगाना**	**29,792**	**41,940**	**97,292**
33.	त्रिपुरा	3,845	6,523	8,398
34.	उत्तर प्रदेश	130,769	247,258	403,938
35.	उत्तराखंड	16,296	26,361	26,268
36.	पश्चिम बंगाल	54,440	106,073	203,170
	कुल	**1,165,786**	**1,724,073**	**2,715,275**

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1860 के भाग (ख) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पीएमएमवाई- खातों की राज्य/संघ शासित राज्य-वार संख्या				
क्रमांक	राज्य/संघ शासित राज्य	2022-23	2023-24	2024-25
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	3463	3131	3027
2.	आंध्र प्रदेश	1348593	1588682	1464680
3.	अरुणाचल प्रदेश	17193	26431	36567
4.	असम	599213	722225	1216262
5.	बिहार	8489231	9631277	7771213
6.	चंडीगढ़	17261	15585	15724
7.	छत्तीसगढ़	1114927	1035574	1016177
8.	दादरा एवं नगर हवेली	4469	3792	3936
9.	दमन एंड दीव	1043	1194	2292
10.	दिल्ली	337476	315625	199513
11.	गोवा	42745	42505	27585
12.	गुजरात	1784437	1960464	1570182
13.	हरियाणा	1218808	1095972	800080
14.	हिमाचल प्रदेश	151733	146471	110348
15.	झारखंड	2056159	2129193	1668829
16.	कर्नाटक	5592066	6458940	4943477
17.	केरल	1781474	1973469	1944890
18.	लक्षद्वीप	1623	2309	2258
19.	मध्य प्रदेश	3701661	3445475	3302774
20.	महाराष्ट्र	5253324	5279979	4462791
21.	मणिपुर	39744	10666	11452
22.	मेघालय	24937	31633	35308
23.	मिजोरम	23394	28729	26463
24.	नागालैंड	15172	21014	32002
25.	ओडिशा	3922511	3761546	2793890
26.	पुडुचेरी	98394	133357	85730
27.	पंजाब	1259891	1039309	707516
28.	राजस्थान	2977440	2693556	2163626
29.	सिक्किम	13805	19290	19185
30.	तमिलनाडु	6406513	7204001	4536967
31.	तेलंगाना	639323	947059	1137388
32.	त्रिपुरा	350659	324797	348747
33.	संघ शासित राज्य जम्मू एवं कश्मीर	330963	366142	399396
34.	संघ शासित राज्य लद्दाख	9988	11013	12197
35.	उत्तर प्रदेश	6808721	7679518	5924230
36.	उत्तराखंड	445328	445218	338119
37.	पश्चिम बंगाल	5426916	6181872	5526827
	कुल	**62310598**	**66777013**	**54661648**